ग्रामीण विकास मंत्रालय

मांग संख्या 82

भूमि संसाधन विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2008-2009 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2008-2009 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2010-2011 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		2400.00	5.64	2405.64	2020.00	6.69	2026.69	2660.00	5.80	2665.80
पूंजी		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		**2400.00**	**5.64**	**2405.64**	**2020.00**	**6.69**	**2026.69**	**2660.00**	**5.80**	**2665.80**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	5.64	5.64	...	6.69	6.69	...	5.80	5.80
ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम										
बंजर भूमि विकास										
2. राष्ट्रीय पुनर्वास नीति (पूर्ववर्ती राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड)	2501	2.00	...	2.00	0.01	...	0.01	1.00	...	1.00
3. एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम										
3.01 कार्यक्रम संघटक	2501	1716.80	...	1716.80	1583.42	...	1583.42	2209.10	...	2209.10
	3601	3.10	...	3.10	3.10	...	3.10	3.10	...	3.10
3.02 ईएपी संघटक	2501	57.00	...	57.00	57.00	...	57.00	...	...	...
	जोड़	*1776.90*	*...*	*1776.90*	*1643.52*	*...*	*1643.52*	*2212.20*	*...*	*2212.20*
4. जैव ईंधन	2501	27.00	...	27.00	0.18	...	0.18	0.90	...	0.90
भूमि सुधार										
5. राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम	2506	50.80	...	50.80	11.59	...	11.59	12.00	...	12.00
	3601	307.00	...	307.00	168.00	...	168.00	167.50	...	167.50
	3602	2.00	...	2.00	0.40	...	0.40	0.50	...	0.50
	जोड़	*359.80*	*...*	*359.80*	*179.99*	*...*	*179.99*	*180.00*	*...*	*180.00*
6. उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए बनाई जाने वाली परियोजनाओं/ योजनाओं के संबंध में एकमुश्त प्रावधान	2552	234.30	...	234.30	...	...	...	...	...	...
7. उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं हेतु प्रावधान										
7.01 एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (कार्यक्रम संघटक)	2552	...	...	...	176.28	...	176.28	245.80	...	245.80
7.02 राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम	2552	...	...	...	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00
7.03 जैव ईंधन	2552	...	...	...	0.02	...	0.02	0.10	...	0.10
	जोड़	...	...	...	196.30	...	196.30	265.90	...	265.90
कुल जोड़		***2400.00***	***5.64***	***2405.64***	***2020.00***	***6.69***	***2026.69***	***2660.00***	***5.80***	***2665.80***
ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
केन्द्रीय आयोजना										
1. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	12501	1805.90	...	1805.90	1643.71	...	1643.71	2214.10	...	2214.10
2. भूमि सुधार	12506	359.80	...	359.80	179.99	...	179.99	180.00	...	180.00
3. उत्तर पूर्वी क्षेत्र	22552	234.30	...	234.30	196.30	...	196.30	265.90	...	265.90
जोड़		**2400.00**	**...**	**2400.00**	**2020.00**	**...**	**2020.00**	**2660.00**	**...**	**2660.00**

1. यह प्रावधान भूमि संसाधन विभाग के सचिवालय के संबंध में व्यय के लिए है।

2. भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने संशोधित राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति (एन.आर.आर.पी.), 2007 में तैयार की है, जिसे मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और इसे 31 अक्टूबर, 2007 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति-2007 में मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताओं के संबंध में व्यवस्था की गई है जिन्हें उन सभी परियोजनाओं द्वारा अवश्य पूरा किया जाना चाहिए जिनके परिणामस्वरूप लोगों का अनैच्छिक विस्थापन होता है। राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या एजेंसियों तथा अन्य अर्जनकारी निकायों को राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति-2007 में निर्धारित किए गए स्तरों से अधिक लाभ प्रदान करने की छूट होगी। इस नीति के सिद्धांत किसी अन्य कारण से स्थायी तौर पर अनैच्छिक रूप से विस्थापित हुए व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए भी लागू हो सकते हैं। नीति के प्रभावी कार्यान्वयन तथा निगरानी के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति-2007 में निगरानी तंत्र स्थापित करने की व्यवस्था की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय पर्यवेक्षण निकाय, राष्ट्रीय निगरानी समिति तथा निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

3. 3.1 समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) को इन तीनों क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के स्थान पर एक कार्यक्रम नामतः एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) में समेकित किया गया है। एकीकृत जलसंभर कार्यक्रम की संशोधित योजना भारत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है। इसे जलसंभर विकास परियाजनाएं, 2008 संबंधी सामान्य दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। यह केंद्र प्रायोजित योजना होगी। मैदानी क्षेत्रों के लिए लागत मानक 12,000/- प्रति हेक्टेयर और पर्वतीय तथा दुर्गम क्षेत्रों के लिए 15,000/- प्रति हेक्टेयर होंगे। यह केन्द्र और राज्यों के बीच 90:10 के अनुपात में वहन की जाएगी। एकीकृत जलसंभर

http://indiabudget.nic.in

प्रबंध कार्यक्रम में राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर समर्पित संस्थान, भूमिहीन लोगों के लिए आजीविका कार्यकलाप के नए संघटक शामिल किए गए हैं।

10वीं योजना तक स्वीकृत की गई जलसंभर परियोजनाओं को मौजूदा मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कार्यान्वित किया जाना जारी रहेगा। एकीकृत बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत परियोजनाएं माइक्रो वाटरशेड आधार पर शुरू की जाती हैं । यह कार्यक्रम लगभग 5000 हैक्टेयर के परियोजना आकार के साथ परियोजना पद्धति में कार्यान्वित किया जाता है। परियोजना की लागत 6000 रूपये प्रति हैक्टेयर है जिसे केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के द्वारा क्रमशः 5500 रूपये तथा 500 रूपये के अनुपात में वहन किया जाता है। एकीकृत बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) इस समय देश के 470 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) एक क्षेत्र विकास कार्यक्रम है जिसे भूमि, जल तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग की दीर्घकालिक कार्यनीति के आधार पर सूखे की समस्या से निपटने के लिए तैयार किया गया है। यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है और पहली अप्रैल, 1999 से वित्तपोषण केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच 75:25 के आधार पर वहन किया जाता है। यह कार्यक्रम 16 राज्यों के 195 जिलों में 972 ब्लॉकों में चलाया जा रहा है। मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) का उद्देश्य मरूस्थलीकरण को नियंत्रित करना तथा दीर्घावधि में पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखना एवं सिंचाई, वनीकरण,शुष्क् भूमि में खेती आदि के जरिए उत्पादन, आय तथा रोजगार के स्तर में वृद्धि करना भी है। आबंटन को केन्द्र तथा राज्य सरकार के बीच 75:25 के आधार पर वहन किया जाता है। यह कार्यक्रम 7 राज्यों के 40 जिलों में 235 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

4. जैव ईंधन के लिए 1.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

5. भूमि सुधारों के भाग के रूप में सहायता केन्द्र द्वारा प्रायोजित दो योजनाओं नामतः (i) भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (सी.एल.आर.) तथा (ii) राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ीकरण एवं भूमि अभिलेखों का अद्यतनीकरण करने (एस.आर.ए. एण्ड यू.एल.आर.) के अंतर्गत उपलब्ध करायी जाती थी। वर्ष 2008-09 के दौरान इन दो योजनाओं के मुख्य संघटकों को मिलाकर और उन्हें एक समेकित और वर्धित योजना में तर्कसम्मत बनाते हुए ये दो योजनाएं मिलाकर एक राष्ट्रीय बूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) के रूप में एक संशोधित योजना बनाई गई है। एनएलआरएमपी का अंतिम लक्ष्य देश में मौजूदा निश्चायक स्वामित्वाधिकार प्रणाली के स्थान पर व्यापक स्वामित्वाधिकार गारंटी प्रणाली लागू करना है। एन.एल.आर.एम.पी. के अंतर्गत सभी कार्यकलापों को योजनाबद्ध से आरंभ किया जाएगा जिसमें सभी प्रारंभिक कार्यकलापों को जिले में समेकित किया जाएगा, जिले को कार्यान्वयन की इकाई के रूप में लिया जाएगा। 12वीं योजना के अंत तक सभी जिलों को कवर किए जाने की आशा है। एनएलआरएमपी के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ परियोजनाओं और प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की परियोजना स्वीकृति एवं निगरानी समिति गठित की गई है। इस समिति ने अभी तक विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के 104 जिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी प्रस्तावों की जाँच की है।

6. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ हेतु परियोजनाओं/ योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान रखा गया है।

7. यह प्रावधान सिक्किम सहित उत्तरपूर्वी राज्यों के लाभार्थ परियोजनाओं/ योजनाओं के लिए रखा गया है।